

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत  
हुकम  
नं. १३१

11/10/2024

पत्रजली प्रशासन गाँवों के संग अधिसूचना १०२/२०२१ के तहत गा.प. नारेला या अच्योजित शिविर में निस्तरण हेतु लगी गई। प्राची ग्राम शिशोरियों का सांवता प-ह- नारेला स्थित अपनी खातेदारी आ. नं. 177 रकबा 1.०5 हे. भूमि की पत्थरगदी कराना चाहे हैं। पत्रजली में लालगा नकल जमावती सम्वत् 2०१०-2०१3 अनुमा उक्त भारती प्राची के नाम खातेदारी हक ले ली है। अतः प्राची का प्राची पर अधिसूचना 128 CRA त खीमा र किया जाकर प्राची शिशोरियों का सांवता प-ह- नारेला स्थित प्राची की खातेदारी आ. नं. 177 रकबा 1.०5 हे. भूमि की बिना किसी के कले में रसालगी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुमा पत्थरगदी किए जाके के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 1०००.०० (न्युप अक्षर एक हजार रुपय प्राची वहन करेगा। पालगा लदीलदार चित्तेश्वर को लिखा जावे कि पत्रजली को लिखित सूचना देकर निपमा अनुमा पत्थरगदी की जावे एवं पालगा शिवीर आयालय में प्रस्तुत करें। पत्रजली केवल शुभा होकर नक्का से काम है।

2019  
00131

(श्याम सुभा विष्णोई)  
न्यायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तेश्वर (राज.)

